आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) सुखदेव राम, (2.) ईश्वर कुमार दास दोनों के पिता स्व0 बेनी राम, निवास स्थान मंडईखुर्द, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना संख्या-162, खाता संख्या-06, प्लॉट संख्या-950 एवं 1046, रकवा क्रमशः 0.03 एकड़ एवं 0.01 एकड़ कुल रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि संजू कुमारी पिता कैलाश राम पति विजय कुमार रविदास, निवास स्थान ग्राम-चम्पानगर नावाडीह, पोस्ट-लिलरा, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-209/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1195/रा0 दिनांक 27.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 2038 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत खेदना चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.95 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 2.4150 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-6/I पर ऑनलाईन में खेदन चमार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2018-19 तक निर्गत् है। आवेदकगण के दादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.3750 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) सुखदेव राम, (2.) ईश्वर कुमार दास दोनों के पिता स्व0 बेनी राम, निवास स्थान मंडईखुर्द, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना संख्या-162, खाता संख्या-06, प्लॉट संख्या-950 एवं 1046, रकवा क्रमशः 0.03 एकड़ एवं 0.01 एकड़ कुल रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि संजू कुमारी पिता कैलाश राम पति विजय कुमार रविदास, निवास स्थान ग्राम-चम्पानगर नावाडीह, पोस्ट-तिलरा, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.10.27 15:09:37 +05:30
Location: 192.168.0.108